प्रकरण संख्या : 215/2011
किशनलाल बनाम हरसहाय वगै.
निर्णय दिनांक : 21.07.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या	:	215/2011
दायर दिनांक	:	30.12.2011
निर्णय दिनांक	:	21.07.2025

1. किशनलाल पुत्र धोकल्या जाति मीना (फौत)
   1/1. हरिनारायण पुत्र स्व. किशनलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा
   1/2. रामजीलाल पुत्र स्व. किशनलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा
   1/3. कालूराम पुत्र स्व. किशनलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा
   1/4. रामकुरी पत्नी स्व. किशनलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा
   1/5. केशन्ता पुत्री स्व. किशनलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा

वादीगण

बनाम

1. हरसहाय पुत्र तुलस्या जाति मीना (फौत)
   1/1. रामकिशोर पुत्र स्व. हरसहाय जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
   1/2. कल्याणसहाय पुत्र स्व. हरसहाय जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
   1/3. गिर्राज पुत्र स्व. हरसहाय जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा जिला दौसा
2. राधा देवी पत्नी नाथूलाल जाति मीना, निवासी सूरजपुरा तहसील दौसा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा
4. उप पंजीयक दौसा

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित अधिवक्ता : श्री अभिषेक बोहरा (वादी संख्या 1/1 लगा. 1/5)
श्री ओमप्रकाश गुर्जर (प्रतिवादी संख्या 1/1 लगा. 1/3 व 2)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एक वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया था। जिसे न्यायालय हाजा में प्रकरण संख्या 35/2008 पर दर्ज किया गया। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई की जाकर दिनांक 03.08.2011 को न्यायालय हाजा द्वारा वादी का वाद स्वीकार करते हुए प्रकरण [illegible] निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय के विरुद्ध मा. न्यायालय [illegible] राजस्व अपील अधिकारी, जयपुर के समक्ष अपील दायर [illegible] दिनांक [illegible].2011 को निर्णय पारित किया गया एवं न्यायालय हाजा के [illegible] दिनांक 03.08.[illegible] को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा को प्रतिप्रेषित् किया गया। अतः प्रकरण पुनः न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा में आराजी साबिक खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/20 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/21 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/22 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/23 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/24 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/25 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/26 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा की खातेदारी साबिक में हरसहाय पुत्र तुलस्या प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी। वादी व वादी के पिता धोकल्या ने उपरोक्त आराजीयात 11 बीघा 8 बिस्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की थी तथा कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर वादी व वादी के पिता धोकल्या के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया किन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से जमाबन्दी सम्वत् 2029 से 2032 में खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी वादी व उसके पिता के नाम विक्रय पत्र अनुसार इन्द्राज नहीं किये गये। उक्त भूमि में वादी द्वारा कूप निर्माण कर रखा है एवं उक्त भूमि में रहवास कर अपना जीवन यापन कर रहा है। खसरा नम्बर 13/19 के वर्तमान खसरा नम्बर 68 रकबा 0.05 है., खसरा नम्बर 69 रकबा 0.11 है., खसरा नम्बर 77 रकबा 0.08 है., खसरा नम्बर 78 रकबा 0.10 है. भू-प्रबन्ध विभाग ने बनाये हैं। अतः निम्नांकित अनुतोष प्रदान किया जावे :-

1. डिक्री उद्घोषणा इस अमर की पारित फरमावें कि ग्राम सूरपुरा स्थित भूमि साबिक खसरा नम्बर 13/19 जिसके हाल खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 रकबा 0.30 है. का खातेदार काबिज काश्तकार वादी है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 रकबा 0.30 है. भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में से कम की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती फरमायी जावे।
2. प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 रकबा 0.30 है. भूमि से वादी को जबरन बेदखल नहीं करे तथा उपरोक्त आराजीयात के किसी भी हिस्से को रहन बय नहीं करे तथा रहन बय के दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करावे। प्रतिवादी संख्या 4 को भी पाबन्द फरमाया जावे कि वे विवादित उक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले किसी भी स्थानान्तरण प्रलेख का पंजीयन नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 3 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत् बनाये रखे।

उपखण्ड अधिकारी मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभय पक्षकारान को सूचित किया गया। वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री अभिषेक बोहरा ने पावर पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गुर्जर ने पावर पेश किया। प्रकरण में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 व 2 की ओर से एक राजीनामा पेश हुआ। राजीनामा तस्दीक किया गया।

प्रकरण में बहस उभयपक्ष सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। वादी का मुख्य रूप से कथन है कि ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित प्रश्नगत आराजी को वादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 से जरिये पंजीकृत विक्रय-पत्र क्रय किया था। [illegible] प्रश्नगत आराजी का नामान्तकरण तस्दीक होने के उपरान्त जमाबन्दी संवत् 2029-20[illegible] राजस्व कर्मचारियों की गलती से क्रयशुदा भूमि में से खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी वादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 के पिता के नाम इन्द्राज नहीं की गयी। उक्त खसरा नम्बर 13/19 के वर्तमान खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 हैं। इस प्रकार वर्तमान खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 के कुल रकबे में से 0.30 है. भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज०)

एवं प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत विक्रय–पत्र दिनांक 20.02.1967 अनुसार ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित साबिक खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा में से 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/20 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/21 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/22 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/23 रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/24 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/25 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 13/26 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 11 बीघा 8 बिस्वा भूमि वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 1 के पिता ने प्रतिवादी संख्या 1 से क्रय किया जाना प्रमाणित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2029–2032 अनुसार खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा की खातेदारी वादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 के पिता के नाम दर्ज नहीं किया जाना प्रमाणित होता है। पत्रावली पर उपलब्ध शपथ–पत्र कल्लूराम पुत्र मंगलराम जाति मीणा व रमेश पुत्र रामप्रताप जाति मीणा अनुसार उक्त रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा पर वादी संख्या 1 व वादी संख्या 1 के पिता काबिज रहे जाना प्रमाणित होता है। वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 13/19 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा को वर्तमान खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 के कुल रकबे में से 0.30 है॰ का होना बताया है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल भू–प्रबन्ध (सम्वत् 2041–2060) अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 68, 69, 77, 78 साबिक खसरा नम्बर 13मी॰ से बने होना प्रमाणित होते हैं। प्रकरण में वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 व 2 की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अन्तर्गत इस बात पर सहमति बनी है कि वर्तमान खसरा नम्बर 68 रकबा 0.05 है॰ में से 0.04 है॰, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.11 है॰, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.08 है॰, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.10 है॰ में से 0.07 है॰ इस प्रकार कुल रकबा 0.30 है॰ भूमि वादीगण के हक में रहेगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं ग्राम सूरजपुरा तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 68 रकबा 0.05 है॰ में से 0.04 है॰, खसरा नम्बर 69 रकबा 0.11 है॰, खसरा नम्बर 77 रकबा 0.08 है॰, खसरा नम्बर 78 रकबा 0.10 है॰ में से 0.07 है॰ इस प्रकार कुल रकबा 0.30 है॰ का खातेदार वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को घोषित किया जाता है। प्रकरण में राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती किये जाने हेतु तहसीलदार दौसा को आदेश दिये जाते हैं। इसके साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/3 को वादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की उक्त आराजी में दखलंदाजी न करने हेतु स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णयानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार दौसा को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, मजिस्ट्रेट दौसा, जिला दौसा

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:47:54 IST
Reason: SelfAttested